

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.



पुनरीक्षण क्रमांक -

उपल प्रकठ - 8

नाहर सिंह तनय श्री छत्तू सिंह उम्र 85 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम मढ़ा तहसील व थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी संभाग रीवा (म.प्र.)

पुनरीक्षणकर्ता अनावेदक

बनाम

1. देवनायक सिंह उम्र 72 वर्ष
2. मंगलेश्वर सिंह उम्र 66 वर्ष
3. शुभकरण सिंह उम्र 62 वर्ष
4. शिवराज बहादुर सिंह उम्र 59 वर्ष
5. मोहन लाल सिंह उम्र 55 वर्ष
6. नारेन्द्र बहादुर सिंह उम्र 52 वर्ष
7. बृजभूषण सिंह उम्र 48 वर्ष

तनय श्री तेजभान सिंह

ये सभी निवासी ग्राम मढ़ा तहसील व थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी संभाग रीवा (म.प्र.) के है इनका पेशा कृषि कार्य है।

गैरपुनरीक्षणकर्ता गण

(आवेदकगण)

पुनरीक्षण-विरुद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्र. 26/अ-27/2011-12 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30.08.2012 जिसके द्वारा विधि

R-2970-1/12

*[Handwritten signature]*  
7-7-12

*[Handwritten signature]*  
(कानूनी सहायक)


*[Handwritten mark]*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-सीधी

मामला क्र०-नि.2970-I/12

नाहर सिंह/देवनायक सिंह

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol>	<p style="text-align: right;"> सदस्य</p>

M

C